

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,

जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 341/14

संस्थित दिनांक -28/04/14

म0प्र0 राज्य द्वारा, चौकी सालेटेकरी
थाना बिरसा, जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

1. सहदेव पिता मानसिंह सोनवाने उम्र 37 वर्ष
साकिन बोरी चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा
जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 21/04/2017 को घोषित }

1. अभियुक्त सहदेव के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-279, 337 एवं मो. व्ही.एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 134/187 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20/04/14 को समय 06:30 बजे ग्राम बोरी दमोह में रोड़ चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर बिना नम्बर की मोटरसाईकिल इंजन क्रमांक HA10ENDHM65077 तथा चैचिस नम्बर MBLHA10A6DHMO1047 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर फरियादी नैनूराम की साईकिल को टक्कर मारकर नैनूराम एवं बजराईनबाई को उपहति कारित की तथा मोटरसाईकिल को बिना किसी वैध लाईसेंस के चलाकर मौके पर दस्तावेज पेश नहीं किये एवं आहतगण का ईलाज न करवाकर उक्त संबंध में यथाशीघ्र 24 घण्टें के भीतर थाने में सूचना नहीं दी।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी नैनूराम ने चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में इस आशय की सूचना दी कि घटना दिनांक 20/04/14 को शाम 06:30 बजे घर वापस आने के दौरान पीछे से पेशन प्रो मोटरसाईकिल के चालक सहदेव साहू ने तेज रफतार एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसकी साईकिल को ठोस मार दिया जिससे गिरकर उसे व उसकी पत्नी को चोटें आयीं। सहदेव अपनी मोटरसाईकिल लेकर चला गया था। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर

आहतगण एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 20/04/14 को समय 06:30 बजे ग्राम बोरी दमोह मेन रोड चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर बिना नम्बर की मोटरसाईकिल इंजन क्रमांक HA10ENDHM65077 तथा चैचिस नम्बर MBLHA10A6DHMO1047 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- (2) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर फरियादी नैनूराम की साईकिल को टक्कर मारकर नैनूराम एवं बजराईनबाई को उपहति कारित की ?
- (3) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस के चलाकर मौके पर दस्तावेज पेश नहीं किये ?
- (4) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त आहतगण का ईलाज न करवाकर उक्त संबंध में यथाशीघ्र 24 घण्टें के भीतर थाने में सूचना नहीं दी ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. नैनूराम (अ.सा.1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा घटना उसके साक्ष्य देने के वर्ष के चौथे माह की 20 तारीख की है। घटना दिनांक को वह दमोह बाजार से पत्नि को लेकर वापस गांव जा रहा था। वह अपनी साईड में था। पगलाटोला के पास आरोपी मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार से चलाकर लाया और उसकी साईकिल को ठोस मार दिया जिससे वह लोग गिर गये थे। दुर्घटना में उसे दाहिने पैर व दोनों कुल्हों पर चोट लगी

थी। उसकी पत्नी बजरार्इनबाई को कमर में चोट आयी थी। दुर्घटना आरोपी सहदेव की गलती से हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 सालेटेकरी चौकी में की थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल दमोह में हुआ था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी.02 बनाया था। उक्त दुर्घटना में उसकी साईकिल के रिंग टूट गये थे और हैंडल बगैरह बँड हो गया था। पुलिस ने उससे साईकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था। उक्त साईकिल को सुधारने में लगभग 1500/- (पंद्रह सौ रुपये) का खर्च आया था। पुलिस ने उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था। उक्त मौजूद दस्तावेजों के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6. बजरार्इनबाई (अ.सा.2) का कथन है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी सहदेव को जानती है तथा घटना उसकी साक्ष्य देने से लगभग साल भर पूर्व दमोह में 05:30 बजे की है। वह अपने पति नैनूराम की साईकिल में पीछे बैठकर ग्राम बोरी से वापस घर जा रही थी। पीछे से आरोपी ने मोटरसाईकिल को तेज गति से लाकर टक्कर मार दिया था जिससे वह गिर गयी थी और उसे कमर में तथा पति को पैर में चोट आयी थी। उसका डाक्टर मुलाहिजा हुआ था। टक्कर मारने के बाद आरोपी भाग गया था। उनकी साईकिल क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

7. झंगलूसिंह (अ0सा03) का कथन है कि घटना उसकी साक्ष्य देने की तिथि से लगभग साल भर पूर्व लगभग 05:00 बजे की है। घटना दिनांक को आहतगण अपनी साईकिल से अपने घर जा रहे थे तो आरोपी सहदेव ने मोटरसाईकिल से आहतगण की साईकिल को टक्कर मार दिया था जिससे आहतगण गिर गये और उन्हें चोटें आयी थीं। नैनूराम के पैर व कमर के पास चोट लगी थी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी क्योंकि आहतगण अपनी साईड से जा रहे थे। घटना का अन्य साक्षी राजूलाल पक्षद्रोही रहा है जिसने घटना की किसी भी प्रकार की जानकारी न होना व्यक्त कर अपने पुलिस कथन प्र.पी.12 से इंकार किया है।

8. डां. सुनील (अ0सा05) का कथन है कि दिनांक 21.04.14 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह में चौकी सालेटेकरी से आरक्षक द्वारा नैनूराम पिता सोनू साहू तथा बजरार्इनबाई पति नैनूराम को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाये जाने पर उसने आहतगण के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 एवं 07 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. शशीगिरी (अ0सा04) का कथन है कि उसे लगभग 20-25 वर्षों का वाहन सुधारने का अनुभव है। उसके द्वारा चालक सहदेव की बिना नम्बर की मोटरसाईकिल का परीक्षण किया गया था जिसमें मोटरसाईकिल के सभी पुर्जे ठीक अवस्था में पाये थे। उसकी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. गुलचंद डोहरे (अ0सा08) का कथन है कि दिनांक 21.04.14 को सालेटेकरी चौकी थाना बिरसा में पदस्थापना के दौरान प्रार्थी नैनूराम साहू की रिपोर्ट पर उसके द्वारा बिनानम्बर की मोटरसाईकिल पेशन प्रो के चालक सहदेव साहू के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0/14 प्र.पी. लेख की गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा शून्य पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम कर असल नम्बरी हेतु प्रधार आरक्षक सोनेलाल कावरे के माध्यम से थाना बिरसा प्रेषित किया था।
11. कन्हैयालाल (अ0सा06) का कथन है कि दिनांक 21.04.14 को पुलिस चौकी सालेटेकरी के अपराध क्रमांक 58/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा साक्षी नैनूराम की निशांदाही पर घटनास्थल जाकर मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी नैनूराम, बजर्राइनबाई, दिनांक 24.04.14 को साक्षी झंगलू तथा राजेश के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 21.04.14 को नैनूराम से एक्सीडेण्ट में इस्तेमाल हीरो कंपनी की साईकिल जिसमें 200-250 रुपये की नुकसानी हुई थी, गवाह संतोष एवं दौलत के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही उक्त क्षतिग्रस्त साईकिल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 गवाह रोहन एवं रायसिंह के समक्ष तैयार किया था। उसके द्वारा सोल्ड वाहन का मैकेनिकल परीक्षण प्र.पी.05 शशीगिरी से करवाया था। जप्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 तथा वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 के बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24.04.14 को ग्राम बोरी से आरोपी सहदेव से एक बिना नम्बर की मोटरसाईकिल पेशन प्रो, बिना कागजात के गवाह दुर्गाप्रसाद साहू एवं बलदेव के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी सहदेव को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था। एक्सीडेण्ट में क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल को नैनूराम को साक्षी संतोषकुमार एवं दौलत के समक्ष प्र.पी.10 के सुपुर्दनामा पर दिया था। प्र.पी.08, 09 एवं 10 के दस्तावेजों के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के समय आरोपी के पास लाईसेंस नहीं होने एवं वाहन के दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस आदि पेश नहीं करने तथा घटना दिनांक को घटना में शामिल होते हुए आहतगण का ईलाज न कराने व

24 घण्टें के भीतर थाने में सूचना न देने पर आरोपी के विरुद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 134/187 का इजाफा किया गया था। प्र.पी.11 के अनुसार अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. घटना के सभी साक्षियों ने आहतगणों की साईकिल अपनी साईड में होकर आरोपी द्वारा पीछे से टक्कर मारने के कथन किये हैं। मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 से भी घटनास्थल आहतगण की साईड में होना दर्शित है। नैनूराम अ.सा.1 तथा बजराहिन अ.सा.2 ने आरोपी द्वारा तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के कथन किये हैं। गति के संबंध में साक्षियों के कथनों पर विश्वास करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आरोपी द्वारा दुर्घटना पीछे से कारित की गई है, जिससे संभव नहीं कि आहतगण उसके संबंध में कोई अंदाज लगा सके और यह सामान्य नियम है कि गति के संबंध में साक्षी के कथन तब तक विश्वसनीय नहीं होते, जब तक वह मोटरयान से संबंधित व्यक्ति न हो। तथापि अपनी साईड में चल रहे साईकिल सवार को पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना करने से अभियुक्त की उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण आचरण का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रकरण में चिकित्सा साक्षी सुनील सिंह अ.सा.5 द्वारा अपनी परीक्षण रिपोर्ट में आहतगण के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं पाए जाने के कथन किये हैं। यद्यपि साक्षी द्वारा घटना के एक दिन बाद आहतगण का परीक्षण किया गया है। तथापि साक्षी द्वारा आहतगण को किसी प्रकार कि शारीरिक पीड़ा के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। आहत नैनूराम अ.सा.1 द्वारा दाहिने पैर और कूल्हे तथा बजराहिन अ.सा.2 द्वारा कमर में चोटें आने के कथन किये हैं, परंतु चिकित्सीय साक्ष्य से उनकी पुष्टि नहीं होती, इसलिए चोटों के संबंध में साक्षीगण के कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होते। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा आहतगण को उपहति कारित की गई। फलतः अभियुक्त को भा.दं0सं0 की धारा-337 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 तथा 4

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

12. कन्हैयालाल धारने अ.सा.6 का कथन है कि घटना के समय आरोपी के पास लाईसेंस नहीं होने तथा मोटरसाईकिल वाहन के दस्तावेज रजिस्ट्रेशन, फिटनेस पेश नहीं करने तथा घटना दिनांक को समय व स्थान पर मोटरसाईकिल के शामिल होते हुए आहतगण का ईलाज न करवाकर एवं

24 घंटे के भीतर सूचना न देने पर आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा का ईजाफा किया गया था। प्रकरण में दुर्घटना अभियुक्त के द्वारा अपने कथित वाहन से करना प्रमाणित है। विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है, जिसके पश्चात् उक्त विशिष्ट तथ्य को साबित करने के बाद अभियुक्त पर था, परन्तु उसने उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और न ही विवेचक साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये। बजराहिन अ.सा.2 द्वारा टक्कर मारने के बाद आरोपी के भागने के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 से होती है। फलतः उक्त संबंध में कन्हैयालाल धारने अ.सा.6 की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं होता।

13. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त सहदेव द्वारा अपने वाहन मोटरसाईकिल इंजन क्रमांक HA10ENDHM65077 तथा चैचिस नम्बर MBLHA10A6DHMO1047 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा मोटरसाईकिल को बिना किसी वैध लाईसेंस के चलाकर मौके पर दस्तावेज पेश नहीं किये एवं आहतगण का ईलाज न करवाकर उक्त संबंध में यथाशीघ्र 24 घण्टों के भीतर थाने में सूचना नहीं दी।

14. फलतः अभियुक्त सहदेव को धारा 279 भा.द.वि. तथा मो.या.अधि. की धारा 3/181, 130(3)/177, 134/187 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

15. अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

16. अतः अभियुक्त सहदेव को धारा 279 भा.दं0सं0 में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मो.या.अधि. की धारा 3/181, 130(3)/177, 134/187 के अपराध के लिए क्रमशः 500/—(पाच सौ) रुपये, 100/— (सौ) रुपये तथा 500/—(पाच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

17. आरोपी प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसाईकिल इंजन क्रमांक HA10ENDHM65077 तथा चैचिस नम्बर MBLHA10A6DHMO1047 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
20. अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)